न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौमूं (जयपुर)

न. 67 / 2021

उनवान

1. मांगी देवी पत्नी बाबूलाल
2. बाबूलाल पुत्र श्री साधुराम

समस्त जाति खटीक, निवासी ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

---प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए लैण्ड होल्डर, तहसीलदार महोदय, तहसील–चौमू जिला–जयपुर (राजस्थान)।
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री बी.एल.शर्मा, जाति ब्राहम्ण, निवासी प्लाट नम्बर 13, शर्मा कॉलोनी के पास, करतारपुरा, जयपुर हाल निवासी ग्राम ईटावा भोपजी तहसील चौमूं जिला जयपुर।
3. रामू पुत्र श्री भूरामल, जाति अहीर, निवासी ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. केसरी देवी पत्नी सुवालाल, जाति जाट, निवासी ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
5. टोमा देवी पत्नी नान्छीलाल, जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम अनन्तपुरा जैतपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
6. जगदीश पुत्र मुरली
7. नाथू पुत्र मुरली
8. रामवतार पुत्र मुरली
9. लालचन्द पुत्र मुरली
10. फूलचन्द पुत्र गोपाल
11. रामू पुत्र भूरा
12. रामनिवास पुत्र गोपाल
13. रामस्वरूप पुत्र गोपाल

समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

14. पन्ना पुत्र रघुनाथ
15. गोपाल पुत्र रघुनाथ
16. घीसा पुत्र रघुनाथ (मृतक दौराने प्रार्थना पत्र)

16/1 रिछपाल पुत्र घीसा

16/2 सुरेश पुत्र घीसा

समस्त जाति बलाई निवासी ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

17. नारायण पुत्र नन्दा (मृतक दौराने प्रार्थना पत्र)

17/1 कानाराम पुत्र स्व0 नारायण

17/2 शंकर पुत्र स्व0 नारायण

17/3 प्रभू पुत्र स्व0 नारायण

17/4 सोनी देवी पत्नी स्व0 नारायण

समस्त जाति बलाई निवासी ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

17/5 गोपाली देवी पुत्री स्व0 नारायण पत्नी प्रभू, जाति बलाई, निवासी ग्राम नांगल चारणा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

17/6 लाली देवी पुत्री स्व0 नारायण पत्नी अर्जुन, जाति बलाई, निवासी ग्राम सदरामपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.11.23 10:49:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी चौमूं, जिला जयपुर

Scanned with CamScanner

17/7 नन्छी देवी पुत्री स्व0 नारायण पत्नी बाबूलाल, जाति बलाई, निवासी ग्राम सदरामपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

18. मंगलचन्द पुत्र कल्याण सहाय, जाति खटीक, निवासी ईटावा बधाल, तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर

---अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, एल0 आर0 एक्ट

निर्णय दिनांक–06.10.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि वाके ग्राम ईटावा भोपजी, पटवार हल्का ईटावा भोपजी, भू.अभि. निरीक्षक क्षेत्र उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में भूमि खसरा नम्बर 502, 508, 499, 500, 514, 515, 504 स्थित है। जिनमें प्रार्थीगण का राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार हिस्सा निहित है। उक्त भूमियां पर प्रार्थीगण काबिज काश्त काश्त होकर उपयोग उपयोग करते चले आ रहे है तथा वर्तमान में भी कर रहे है

वाके ग्राम ईटावा भोपजी, पटवार हल्का ईटावा भोपजी, भू.अभि. निरीक्षक क्षेत्र उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 483, 484, 485, 501/3421, 516, 497, 498, 509, 503, 505, 506, 507, 509/2425, 510 लगायत 513, 517, 518, 521, 521 लगायत 526 की खातेदारी अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 17 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा मद संख्या 1 में वर्णित प्रार्थीगण की भूमि के सींव जोड लगवा प्रार्थीगण संख्या 2 ता 17 की भूमि स्थित है तथा अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के पडौसी खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थीगण की भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 24.03.2021 को श्रीमान तहसीलदार महोदय चौमूं के आदेश क्रमांक/ एलआर/2020/3750–3751 दिनांक 09.10.2020 की पालना में ग्राम ईटावा भोपजी के खसरा नम्बर 493, 494, 495, 496, 502, 508, 499, 500, 514, 515, 504 का सीमाज्ञान करने हेतु मौके पर पहुंचा। मौके पर प्रार्थीया एवं पडौसी खातेदार उपस्थित आये। उपस्थित के समक्ष जरीब चलाकर सर्वप्रथम चाह खसरा नम्बर 466 से 467 के मध्य मौका नक्शा की दूरी जांच की गई जो मौका नक्शा सही पाई गई। चाह खसरा नम्बर 466 से चाह खसरा नम्बर 524 के मध्य जरीब चलाकर जरीब लाईन पर बिन्दु कायम किये। माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय चौमूं के प्रकरण संख्या 118/2017 में पारित निर्णय दिनांक 07.01.2020 की पालना में की गई पत्थरगढी सीमाओं एवं उक्त चाह खसरा नम्बर एवं मौके पर चलाई गई जरीब लाईन पर कायम बिन्दुओं से उक्त आवेदित खसरा नम्बरान का [illegible] प्रार्थी एवं उपस्थित पडौसी खातेदारों के समक्ष [illegible] के आधार पर पत्थरगढ़ी का निवेदन अप्रार्थीगण संख्या 2 [illegible] दिया जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 17 द्वारा सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढ़ी [illegible] करने दी गई जिस कारण सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण अपनी खसरा नम्बर की भूमि की पत्थरगढी करवाना आवश्यक हुआ जिस हेतु न्यायालय श्रीमान् के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.11.23 10:49:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं जिला जयपुर

Scanned with CamScanner

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् जी से निवेदन है कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि स्थित वाके ग्राम ईटावा भोपजी, पटवार हल्का ईटावा भोपजी, भू.अभि. निरीक्षक क्षेत्र उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के आराजी खसरा नम्बर 502, 508, 499, 500, 514, 515, 504 की सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी के आदेश अप्रार्थी संख्या 1 को फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पेश करने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली आज प्रशासन गावों के संघ अभियान कैम्प कोर्ट ईटावा भोपजी में पेश हुई। प्रार्थीगण स्वयं उपस्थित हुए। अप्रार्थीगण संख्या 6 से 13 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सी0पी0सी का पेश किया गया। जिसको न्यायहित में स्वीकार किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5, 14 ता 18 बावजुद सूचना के अनुपस्थित है अतः इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रार्थीगण व अधिवक्ता अप्रार्थीगण की सीधी बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण आवेदित आराजी की रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का कानूनन हक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार चौमू के आदेश से दिनांक 24.03.2021 को पटवारी हल्का द्वारा करवाया जा चुका है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रा0पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रा0पत्र बाबत् पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौमू को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तथा मौके पर फसल न हो तो सीमाज्ञान दिनांक 24.03.2021 के अनुसार पत्थरगढी की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.11.23 10:49:44
Reason: SelfAttested

राहुल जैन
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, चौमूं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौमू
(जयपुर)

Scanned with CamScanner